भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 146

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

कारावासों में कैदियों की अत्यधिक संख्या

146. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में कितने कारावासों में उनकी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक कैदी हैं जिससे कारावासों में भीड़ बढ़ रही है;

(ख) ऐसे प्रत्येक कारावास जिनमें उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी हैं, में कितने विचाराधीन कैदी बंद हैं;

(ग) राज्य-वार कितने कैदी कोविड-19 टेस्ट में पोजिटिव पाए गए हैं और ऐसे वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी वाले कारावासों में कितने कैदी विचाराधीन हैं;

(घ) वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी वाले कारावासों में राज्य-वार कितने कैदियों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है; और

(ङ) क्या सरकार ने कारावासों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारागारों की कुल उपलब्ध क्षमता तथा कारागारों में बंद कैदियों और विचारणाधीन कैदियों की कुल संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

लो.स. अतां प्र.सं 146

(ग) और (घ): राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीआरबी को ये आंकड़े सूचित नहीं किए गए हैं।

(ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि-4 के अनुसार 'कारागार' और 'उनमें बंद व्यक्ति' राज्य के विषय हैं। कारागारों का प्रशासन एवं प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार में कारागारों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में सक्षम हैं। गृह मंत्रालय ने कारागारों में भीड़-भाड़ को कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी जारी की हैं।

कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 12 मार्च, 2020 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा कारागार प्राधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्हें कारागारों में उपयुक्त साफ-सफाई की स्थिति बनाए रखने के लिए यथोचित सावधानी बरतने तथा नियमित रूप से हाथ धोने, मुंह को ठीक तरह से ढंकने तथा सामाजिक दूरी आदि जैसे उपाय करने की सलाह दी गई थी। उन्हें यह सलाह भी दी गई थी कि कारागार कैदियों की आवाजाही को कम किया जाए तथा उन्हें न्यायालयों में पेश करने और उनके मिलने वालों आदि के लिए व्यक्तिगत रूप से आने तथा मिलने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं का उपयोग किया जाए। गृह मंत्रालय ने दिनांक 2 मई, 2020 को कारागारों में कोविड-19 के प्रबंधन पर एक अन्य व्यापक एडवाइजरी भी जारी की थी। कारागारों में अपनाए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल को भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में कारागारों में भीड़-भाड़ एक गंभीर चिंता का विषय है, वर्ष 2020 की स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सी) संख्या 1 में अपने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निदेश दिया

था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस श्रेणी के कैदी को उनके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अवधि के लिए पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। न्यायालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आगे यह भी निदेश दिया था कि वे इस बात को संबंधित राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति पर छोड़ दें कि वह रिहा किए जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी का निर्धारण करें, जिसका आधार अपराध की प्रकृति, उन वर्षों की संख्या, जिनके लिए उन्हें सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसके लिए उन्हें आरोपी बनाया गया है अथवा कोई अन्य संगत कारक, जिसे समिति उपयुक्त समझती है, हो सकता है। माननीय न्यायालय के इस निदेश के आधार पर कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने क्षेत्राधिकार में कैदियों को पैरोल/जमानत पर रिहा किया था।

******

अनुलग्नक

31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कारागारों की संख्या, उपलब्ध क्षमता और कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उपलब्ध क्षमता	कैदियों की कुल संख्या	विचारणाधीन कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8789	7579	4769
2	अरुणाचल प्रदेश	233	247	106
3	असम	8888	9226	6130
4	बिहार	42222	39814	31275
5	छत्तीसगढ़	12063	18112	9829
6	गोवा	624	518	369
7	गुजरात	13762	15089	9799
8	हरियाणा	19306	20423	13160
9	हिमाचल प्रदेश	2146	2373	1425
10	जम्मू और कश्मीर @	2910	3689	3075
11	झारखंड	16795	18654	12759
12	कर्नाटक	14315	14515	10500
13	केरल	6841	7499	4330
14	मध्य प्रदेश	28718	44603	24157
15	महाराष्ट्र	24095	36798	27557
16	मणिपुर	1272	876	758
17	मेघालय	650	1023	861
18	मिजोरम	1601	1698	1097
19	नागालैंड	1450	446	314
20	ओडिशा	19291	17563	13803
21	पंजाब	23488	24174	15949
22	राजस्थान	22952	21599	15378
23	सिक्किम	260	400	255
24	तमिलनाडु	23392	14707	9244
25	तेलंगाना	7785	6717	4384
26	त्रिपुरा	2174	1103	568
27	उत्तर प्रदेश	60340	101297	73418
28	उत्तराखंड	3540	5629	3373
29	पश्चिम बंगाल#	21772	23092	16478
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	309	244	132
31	चंडीगढ़	1120	984	580
32	दादरा और नगर हवेली*	70	46	46
33	दमण और दीव *	60	62	46
34	दिल्ली	10026	17534	14382
35	लक्षद्वीप	64	4	4
36	पुदुचेरी	416	263	177
	कुल	**403739**	**478600**	**330487**

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये दोनों संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समेकित आंकड़े हैं।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 हेतु उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

*****